रजिस्ट्रेशन सं. डी. एल.—33004/96

REGN. NO. D. L.—33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 147] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 11, 1996/फाल्गुन 21, 1917
No. 147] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 11, 1996/PHALGUNA 21, 1917

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No.
Date
GOVT. OF INDIA

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1996

का.आ. 175(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) और धारा 3(2)(14) और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5(1)(10) और नियम 5(2) के अधीन देश में पर्यावरण की क्वालिटी का संरक्षण और सुधार करने के लिए उपाबन्ध 1 में विनिर्दिष्ट राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कतिपय क्रियाकलापों का निर्बंधन ।

प्रारूप प्रस्ताव

केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5((1)(10) और नियम 5(2) के साथ पठित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (2)(14) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध 1 में विनिर्दिष्ट राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्र में, इसकी पूर्व अनुज्ञा के सिवाय, निम्नलिखित संस्करणों और संक्रियाओं का चलाया जाना प्रतिषेध करने और या उनका विनियमन करने का प्रस्ताव करती है:—

1. किसी नई काष्ठ आधारित यूनिट की स्थापना जिसके अन्तर्गत आरा और वेनियर मिल भी हैं ।

2. विद्यमान काष्ठ आधारित यूनिट का विस्तार और आधुनिकिकरण (जिसमें कच्ची सामग्री खपत में वृद्धि भी है) जिसके अन्तर्गत प्लाई वुड और वेनियर मिल भी है ।

3. विद्यमान काष्ठ आधारित एककों के पट्टों का नवीकरण जिसके अन्तर्गत आरा और वेनियर मिल भी हैं ।

4. नये विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना के लिए जिसमें प्लाई वुड आरा और वेनियर मिलें भी हैं । किसी निवास एकक या फार्म हाउस का निर्माण, नई पारेषण लाइनों का बिछाया जाना या किसी अन्य नई अवसंरचना का जिसमें सड़कों का विकास करना भी है ।

5. ऐसा कोई व्यक्ति जो उपाबन्ध 1 में विनिर्दिष्ट उक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऊपर वर्णित प्रसंकरणों या संक्रियाओं में से किसी को हाथ में लेना चाहता तो वह अन्य बातों के साथ संलग्न आवेदन प्रारूप (उपाबन्ध) II में अवस्थिति का ब्यौरा और प्रस्तावित प्रसंस्करण या संक्रिया को विनिर्दिष्ट करते हुए एक आवेदन पत्र संबद्ध राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रों के सचिव, वन विभाग के माध्यम से सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा । आवेदक आवेदन पत्र के साथ ब्यौरेवार पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना और ऐसी अन्य आवश्यक सूचना भी प्रस्तुत करेंगे जैसी कि उनके आवेदन पर विचार करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित हो । पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना में, अन्य ब्यौरों के साथ कच्चे माल के प्रदाय, तैयार उत्पाद,

उपोत्पाद और उससे उत्पादित किसी अपशिष्ट के व्ययन से संबन्धित जानकारी भी होगी ।

6. केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण एंव वन मंत्रालय उक्त अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए समय-समय पर इसके द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए, आवेदन पत्र की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर राज्य/संबद्ध संघराज्यक्षेत्रों की सलाह/सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् अनुज्ञा प्रदान करेगा, या जहां ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर आवेदक से और सूचना मांगी गई है, या उक्त क्षेत्र में पर्यावरण पर प्रस्तावित प्रसंस्करण या संक्रिया प्रभाव के आधार पर उक्त समय के भीतर अनुज्ञा देने से इंकार करेगा ।

7. ऐसा कोई व्यक्ति प्रतिषेध और निर्बन्धनों के प्रस्तावित अधिरोपण के विरुद्ध आक्षेप फाईल करने का इच्छुक है, तो वह लिखित में ऐसा कर सकता है, और उसी को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर केन्द्रीय सरकार के सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी. जी. ओ. काम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली को विचारार्थ भेज दें ।

[सं. 3-11/94 एस.यू]
एन. आर. कृष्णन, सचिव

उपाबंध–1

1. अरूणाचल प्रदेश
2. असम
3. नागालैंड
4. अंदमान और निकोबार द्वीप

उपाबंध–2

1. (क) परियोजना प्रस्तावक का नाम और पता

(ख) प्रस्तावित एकक का स्वरूप क्या प्लाईवुड आरा मिल/
वेनियर मिल/
अन्य काष्ठ आधारित
एकक

(ग) परियोजना की अवस्थिति
स्थान का नाम
तहसील, जिला, राज्य
(अवस्थिति का मानचित्र
संलग्न करें)

(घ) यदि परियोजना वन भूमि में
स्थित है, वन (संरक्षण) अधिनियम
1980

2. परियोजना के उद्देश्य

3. (क) अपेक्षित भूमि
निजी भूमि
वन भूमि
वनेतर सरकारी
भूमि (विनिर्दिष्ट करें)

(ख) प्रवरणता, पहलू और ऊंचाई को उपदर्शित करते हुए, क्षेत्र की स्थलाकृति ।

(ग) प्रस्तावित भूमि/वन भूमि की अपरदनीयता, वर्गीकरण ।

4. परियोजना के दस कि. मी. अर्धव्यास के भीतर प्लाई वुड और अन्य काष्ठ आधारित उद्योग एककों, जिनमें आरा और वेनियर मिलें भी हैं, की संख्या और अवस्थिति ।

5. (i) प्रस्तावित परियोजना के लिए काष्ठ की वार्षिक आवश्यकता ।

(ii) वे स्रोत जिनसे काष्ठ अधिप्राप्त करना प्रस्तावित है ।

6. निकटतम राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य/आरक्षित/जीवमण्डल/आरक्षित वन अधिसूचित परिसंवेदनशील क्षेत्र/संरक्षित संस्मारक/उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति अधिसूचित स्थल : यदि इनमें से कोई परियोजना स्थल की 100 कि. मी. के अर्धव्यास के भीतर विद्यमान है ।

7. (क) उत्पादित अपशिष्ट का ठोस, तरल और गैसयुक्त अपशिष्ट पृथकतया दर्शाते हुए प्रकार और मात्रा ।

(ख) अपशिष्ट की निपटान पद्धति मद के अनुसार

नाम, तारीख और पूरे डाक पता सहित
आवेदक के हस्ताक्षर ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 1996

S.O. 175(E).—Under Section 3(1) and 3(2)(XIV) of the Environment (Protection) Act, 1986 and Rule 5(1)(x) and 5(2) Environment (Protection) Rules, 1986, Restricting certain activites in States/Union Territories specified in Annexure I for protecting and improving the quality of the environment in the country.

DRAFT PROPOSALS

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and Clause (2) (XIV) of sub section (2), of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rules 5(1) (X) and 5 (2) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government proposes to prohibit and or regulate the carrying on of the following processes and operations, except with its prior permission, in the entire area of the States/Union Terri-

tories specified in Annexure I appended to this Notification :—

1. Setting up of any new wood based unit including saw and veneer mills.

2. Expansion and molernisation (which involves increase of raw material consumption) of existing wood based units including plywood saw and veneer mills.

3. Renewal of leases of the existing wood-based units including saw and veneer mills.

4. Construction of any dwelling units or farmhouses, laying of new transmission lines or development of any other new infrastructure, including roads, for setting up of new as well as existing wood based industries, including plywood, saw and veneer mills.

2. Any persn who desires to undertake any of the above men ioned processes or operations in the said States|Union Territories specified in Annexure I, shall submit an application to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Government of India, through the Secretary, Department of Forests of the concerned State|Union Territories Governments in the attached application form (Annexure II) specifying inter-alia, details of the location and the proposed process or operations. The applicants shall also furnish a detailed Environmental Management Plan along with the application and such other necessary information as may be required by the Central Government for considering the application. The Environmental Management Plan will contain, among other details, information relating to raw material supply, disposal of the finished product, by-products and any wastes generated.

3. The Central Government in the Ministry of Environment and Forests shall, having regard to the guidejines issued by it from time to time for giving effect to the provisions of the said Act, and after considering the advice/recommendations of the State|Union Territories concerned grant permission within a period of three months from the date of receipt of the application, or where further information has been asked for from the applicant, within a period of three months from the date of the receipt of such information or refuse permission within the said time on the basis of the impact of the proposed process or operation on the environment in the said area.

4. Any person interested in filing an objection against the proposed imposition of prohibition and restrictions, may do so in writing, and may forward the same for consideration of the Central Government to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhavan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi, within 60 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[No. 3-11|94-SU]

N. R. KRISHNAN, Secy.

ANNEXURE-I

1. Arunachal Pradesh
2. Assam
3. Nagaland
4. Andaman & Nicobar Islands.

ANNEXURE II

APPLICATION FORM

1. (a) Name and address of the Project Proponent

(b) Nature of the proposed Unit :
Whether plywood|Saw mill|veneer mill|otherwood based unit.

(c) Location of the project :
Name of the place :
Tehsil, District, State :
(Attach Location map):

(d) If project is located in forest land copy of permission (along with the conditions stipulated granted under Forest (Conservation) Act, 1980 should be attached).

2. Objectives of the project.

3. (a) Land requirement :
Private land :
Forest land :
Non-forest Govt. land (specify) :

(b) Topography of the area indicating gradient, aspect and altitude.

(c) Erodability, classification of the pjroposed land| Forest land.

4. Number and location of plywood and other wood based industry units including saw and veneer mills within ten km. radius of the project.

5. (i) Annual requirement of wood for proposed project
(ii) Sources from which the wood is proposed to be obtained.

6. Distance of the boundary of the nearest National Park| Sanctuary|Biosphere Reserve|Reserve Forest|Notified Eco Sensitive Area/Protected Monument/Notified Heritage Site (if any of these exist within 100 kms radius of project Site).

7. (a) Nature and quantity of wastes (Solid, Liquid, Gaseous separately) generated :—

(b) Waste disposal method (item wise).
Signature of the applicant.
along with Name, date and.
Full postal address.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1996